18.06.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री धीमान खत्री उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या पांच अनुपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1101 दिनांक 05.03.2006 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर,सिरोही

Scanned with CamScanner